



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-28.11.2023

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अभियुक्त प्रमोद ठाकुर को गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व कुल 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 112/2019 धारा- 304 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद ठाकुर पुत्र राजदेव निवासी- सिमरु थाना गुरुवा जिला- गया, बिहार को थाना जैतपुरा पुलिस व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 28.11.2023 को मान0 न्यायालय ASJ-5 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त प्रमोद ठाकुर उपरोक्त को धारा- 304 भादवि में आजीवन कारावास से व 25 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया । अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी